न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2013 निगरानी R - 4363-I/13

1. दयाराम } पुत्रगण घंसू
2. पूरन
3. लखन पुत्रगण मुलायम
4. अशोक पुत्रगण मुलायम
5. ~~रामदेवी पत्नी मुलायम~~

निवासीगण ग्राम पिपरौआ तह. भाण्डेर व जिला दतिया म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

प्रेम पत्नी पन्नालाल निवासी ग्राम गरेरा तह. व जिला दतिया म.प्र.

——— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के प्र.क्र. 164/निगरानी/10—11 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम पिपरौआ खुर्द तह. व जिला दतिया में स्थित भूमि सर्वे क्र. 114 रकवा 1.45 है., 374 रकवा 1.95 है., 382 रकवा 0.33 है., 383 रकवा 0.28 है., 384 रकवा 0.02 है., 386 रकवा 0.02 है. कुल किता 6 कुल रकवा 4.05 है. के भूमि स्वामी बेटी वाई थी। भूमि स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 20.06.2008 से निष्पादित की गई। बेटी वाई की मृत्यु के बाद आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 109/110 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क्र. 67/अ—6/07—08 पर पंजीवद्ध किया गया। विधिवत् उद्घोषणा जारी की गई। समयावधि में आपत्तियॉ आहूत की गई। अनावेदिका द्वारा उपस्थित हो कर स्वयं आपत्ति प्रस्तुत की है। आवेदकगण के आवेदन पत्र को दिनांक 02.02.2009 पूर्णतः स्वीकार ना कर उभयपक्ष का समान भाग पर दिनांक 02.02.2009 भूमि स्वामी बेटी वाई के स्थान पर नामान्तरण आदेश पारित कर दिया गया।

2. यह कि, उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनु.वि.अधि. भाण्डेर के समक्ष प्र.क्र. 40/अपील/08—09 पर पंजीवद्ध किया जाकर। उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 20.04.2009 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2009 निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के बिरूद्ध अनावेदिका द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर दतिया के प्र.क्र. 24/08—09/निगरानी पर पंजीवद्ध किया जा कर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक [illegible] जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-12-14	[illegible] C.F. 27-4-15 [illegible]	27.4.15 [illegible]
27-4-15	[illegible] C.F 21-7-15 [illegible]	21.7.15 [illegible]
21-7-15	आवेदक - अभि० श्री एस० पी० धाकड़ उप०/ अना० को सूचना की जाँच/ रिपोर्ट पूर्ण/ तर्क हेतु/ C/F 28.10.15 [illegible]	28.10.15
10/9/15	आवेदक अभिभाषक श्री एस०पी० धाकड़ उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते, क्योंकि आपसी राजीनामा हो चुका है। अना० अभि० श्री [illegible] धाकड़ द्वारा प्रकरण की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया। अतः प्रकरण आपसी राजीनामा के आधार पर समाप्त किया जाता है। [illegible]	[illegible] दयाराम [illegible] गवाह [illegible] विश्वकर्मा एस० पी० धाकड़ [illegible]

[कृ. प. उ.]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ[illegible]कों आदि के हस्ताक्षर
		दयाराम पुरनसिंह लखन अशोक रघुवर

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.